राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या ....2229 / 2015..जिला........भीलवाडा............

,वान–श्री राहूल गोखरू पुत्र दिनेश गोखरू बनाम राज0 सरकार जरिये उपपंजीयक, भीलवाडा, व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2016	**एकलपीठ** **श्री बी के मीणा– अध्यक्ष** निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक मदनलाल गुर्जर एवं अप्रार्थी संख्या एक विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। निगरानी की ग्राहयता के बिन्दु पर उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। निगरानी में विवादित मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि निगरानीकर्ता द्वारा जमा करा दी गई है जिसकी मूल रसीद संलग्न है। निगरानी में प्रथम दृष्टया विधिक बिन्दु निहित होने से, निगरानी **subject to limitation** श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। तत्पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होने से, विवादित आदेशान्तर्गत की जाने वाली शेष मांग राशि की वसूली कार्यवाही आगामी आदेशों तक स्थगित रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावली तलब की जावे। अप्रार्थीगण के नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे बाद जांच जारी किया जावे। मिसल बाद कार्यवाही दिनांक 10.03.2016 को रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष पेश हो। -Sd- (बी के मीणा) अध्यक्ष	
4-2-16	निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा सैटलमेंट स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु विड्रा प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली बाबत विड्रा प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 5-2-16 को S.B. के समक्ष पेश हो। Sd- रजिस्ट्रार राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	
05-02-16	प्रार्थी के अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवायी के प्रार्थना पत्र के साथ-साथ, राज्य सरकार की विशेष छूट योजना का लाभ लेने हेतु निगरानी वापिस लेने का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व के अधिवक्ता श्री जमील जई को कोई आपत्ति नहीं है। अत: प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवायी एवं निगरानी प्रत्याहरण (withdrawal) स्वीकार किये जाते हैं। पत्रावली जरिये प्रत्याहरण (withdrawal) निर्णित समझी जावे। Sd-	